



प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6**लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत आगरा क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 07 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो०नि०वि०, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत आगरा क्षेत्र के कतिपय जनपदों के 07 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू० 315.13 लाख (रूपये तीन करोड़ पंद्रह लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय मुख्य अभियंता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	22912/CE-SEB/RVB/AGR/2026-27 Dt- 19-06-2026	प्रा.ख. मथुरा	जनपद मथुरा में नगला घीषा से तोष मार्ग के कि०मी० 1 पर स्थित मथुरा स्केप पर लघु सेतु का नवनिर्माण कार्य।	330/2025/आई/113 7713/2025/23-60 99/193/2025-दिनांक-10-11-2025	164.94 130.85 0.00 130.85	82.47	48.38	31.62	8.51	40.13
2	तदैव	प्रा.ख. आगरा	जनपद आगरा में जन्था गांव में लघु सेतु एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	02/2026/आई/1192 587/2026/23-609 9/239/2025-दिनांक-01-01-2026	189.42 189.42 28.02 161.40	2.38	159.02	31.52	8.48	40.00
3	23056/CE-SEB/RVB/AGR/2026-27 Dt- 23-06-2026	नि.ख.-1 मथुरा	जनपद मथुरा में नशीटी से गढ़ी हुलासी नगला उमराला मार्ग के किमी०-1 में लघु सेतु निर्माण का कार्य।	91/2026/आई/12666 17/2026/23-6099/8 1/2026-दिनांक-15-03-2026	97.39 97.39 0.16 97.23	1.20	96.03	15.76	4.24	20.00
4	तदैव	नि.ख.-2 आगरा	जनपद आगरा में बहरामपुर से धौरऊ सम्पर्क मार्ग से करवन नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	91/2026/आई/12666 17/2026/23-6099/8 1/2026-दिनांक-15-03-2026	480.23 480.23 44.43 435.80	1.50	434.3	78.79	21.21	100.00
5	तदैव	नि.ख.-2 फिरोजाबाद	जनपद फिरोजाबाद में टूंडला अवागढ़ मार्ग से इमलिया कुतुकपुर होते हुए ऐरई मार्ग पर लघु सेतु का निर्माण कार्य।	344/2025/आई/1145 165/2025/23-6099/ 178/2025-दिनांक-17-11-2025	141.71 141.71 10.03 131.68	16.00	115.68	27.58	7.42	35.00
6	तदैव	नि.ख.-2 फिरोजाबाद	जनपद फिरोजाबाद में ब्लॉक नारखी ग्राम कनवारा से रैमजा मार्ग पर लघु सेतु का निर्माण कार्य।	91/2026/आई/12666 17/2026/23-6099/8 1/2026-दिनांक-15-03-2026	182.78 182.78 8.80 173.98	3.00	170.98	15.76	4.24	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7	तदेव	नि.ख-3 मैनपुरी	जनपद मैनपुरी में करहल घिरोर कुरावली (प्र०जि०मा०-175 डब्बू के कि०मी०-30 में 2 x 12 मी० स्पान का आर०सी०सी० सेतु का पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	356/2025/आई/1150 276/2025/23-6099 /197/2025-दिनांक-2 1-11-2025	380.61 380.61 27.81 352.8	35.01	317.79	47.27	12.73	60.00
कुल योग								248.30	66.83	315.13

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।
- (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।
- (8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,48,30,000 (रुपये दो करोड़ अड़तालीस लाख तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 66,83,000 (रुपये छियासठ लाख तिरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुबास राम)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
- (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
- (5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) संबंधित कोषाधिकारी।
- (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
- (9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- (10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।